न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE कोर्ट फी Rs.10 भारत INDIA

दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE कोर्ट फी Rs.10 भारत INDIA

श्री संदीप दुबे, अभि०उपस्थित, आपत्ति संलग्न प्रस्तुत। 30/6/13

1. हरिदार वल्द शिवराम दवण्डे

R.2668-I/13

2. श्रीमती शांताबाई जोजे कृष्णराव

दोनो निवासी ठानी तहसील भैंसदेही जिला बैतूल ------- निगरानीकर्तागण

3. श्री द्वारका बाई जोजे श्यामराव धोटे

निवासी जावरा तहसील भैंसदेही जिला बैतूल

4. श्रीमती कांताबाई जोजे श्री बलीराम

निवासी पोखरनी तह. भैंसदेही जिला बैतूल

6. श्रीमती कौशल्या जोजे श्री रघुनाथ दरबाई

निवासी गरव्हातहसील भैंसदेही जिला बैतूल

6. श्री शिवशंकर वल्द श्री शिवराम

निवासी ठानी तह. भैंसदेही जिला बैतूल

7. श्रीमती लीलाबाई जोजे श्री उमराव सरोटकर

निवासी पोखरनी तह. भैंसदेही जिला बैतूल ------ निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती चंद्रभागा जोजे महादेव कुन्बी

निवासी आठनेर जिला बैतूल

2. श्रीमती मीराबाई जोजे श्री महेशचंद्र जायसवाल

निवासी आठनेर जिला बैतूल -------- उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग

....2

द्वारा रा.अपील.क्र. 149/अपील -11-12 मे पारित आदेश दिनांक 28.3.13 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह निगरानी माननीय इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि भूमि खसरा नं. 49/2 , 151/220 , 279/2 , 290/2 रकबा क्रमशः 0.188 , 2.991 , 0.878, 0.059 , 0.010 एवं 0.020 कुल रकबा 4.140 हे., भूमि मौजा ग्राम प.ह.नं. 58 आष्टेर की है कृषि भूमि उत्तरवादी क्र. 1 ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण किये जाने बावत प्रस्तुत किया जिसपर विचार करते हुये इन अपीलार्थीगणो के द्वारा उत्तरवादी क्र. 1 का नामांतरण न किये जाने हेतु एक आपत्ति प्रस्तुत की गयी उसका मुख्य आधार यह है कि उत्तरवादी क्र. 2 का एवं अपीलार्थीगण के मध्य हक व स्वत्व के संबंध मे एक व्य.वाद प्रकरण विचाराधीन है इसी आधार पर इस उत्तरवादी क्र. 1 का नामांतरण न किया जावे । एवं नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त किया जावे जिसपर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.11.10 को उत्तरवादी क्र. 1 का नामांतरण आवेदन पत्र रा.प्र.क्र. 4-अ/06 -10-11 मे आदेश दि. 18.11.10 पारित किया एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गयी जिससे परिवेदित एवं दुखित होकर उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा उपरोक्त आदेश के विरुद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 13.3.12 को आदेश पारित कर उत्तरवादी क्र 2 की अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 18.11.10 निरस्त किया गया एवं इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि उत्तरवादी क्र. 1 एवं 2 के मध्य विवादित भूमि के अंतरण विलेख दिनांक - 15.4.10 के आधार पर नामांतरण किया जावे जिससे परिवेदित होकर ...3

M/4

XXXIX(a)-BR(H)-11

हरिहर / चन्द्रभान

28

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2668 I/13 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.1.16 ग्वालियर D) [signature]	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री मेहरबान सिंह अभिभाषक उपस्थित। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। [signature] अध्यक्ष	NA2

[कृ. प. उ.